दिनांक	कार्यवाही
9/11/17	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरीकैन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 14-11-17 को पेश हो।
14/11/17	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरीकैन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 16-11-17 को पेश हो।
16/11/17	वकील पक्षकारान उप०। प्रतिवादी नं. 2 व 3 को उन्हें बार-2 आवाज लगायी गयी आवाज प्रतिवादी हाजिर नहीं आये अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। फिलहाल आमन्दा साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 24/11/17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)
24/11/17	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरीकैन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 27-11-17 को पेश हो।
27/11/17	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरीकैन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 15-12-17 को पेश हो।
15/12/17	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरीकैन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 4-1-18 को पेश हो।
4/1/18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरीकैन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 11.1.18 को पेश हो।
11/1/18 नि.अ. बरजी गिरधारी	पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से शपथ पत्र ब्यान चीफ पेश किया गया शामिल मिसल रहे। वकील वादी ने बाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने बाद वादी डिक्री किये जाने की सहमति दी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वाद वादी आपसी सहमति के आधार पर डिक्री किया जाता है। वाद पत्र में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है

उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा
ज़िला झुन्झुनूं (राज.)

प्रतिवादी सं.1 के पिता प्रभुराम के पिता का देहान्त होने पर सरहद ग्राम दिलावरपुरा तहसील चिड़ावा स्थित नहरी कृषि भूमि खसरा नं 24 रकबा 7.41 है० का 1/3 हिस्सा विरासतन उत्तराधिकार स्वरूप प्रतिवादी सं.1 को प्राप्त हुआ जिसका प्रतिवादीगण काबिज खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जावे।

प्रतिवादी सं.1 के कोई पुत्र सन्तान ना होने से प्रतिवादी सं.1 ने वादी को सन् 2009 में जब वादी करीब पांच वर्ष की आयु का था वादी को प्रतिवादी सं.1 ने गोद की सभी रस्मे निभाकर Giving & Taking सेरेमनी का सम्पादन के सभी मौजिज व्यक्तियों के समक्ष प्रतिवादी सं.1 व प्रतिवादी सं.1 की धर्मपत्नी अक्षो देवी ने वादी को विधिवत गोद लेकर अपना दत्तक पुत्र बनाया व परिवार तथा सभी सगे, सम्बन्धियों, रिश्तेदारों व गांव मौजिज के लिए दशोठण का प्रतिभोज किया और इस गोद रस्म को परिवार व गांव रिश्तेदारों की गवाही (मौजूदगी) में अपनी बही में लिखवाकर की गई जो बतौर सबूत पेश है।

प्रतिवादी सीधा सादा व भोला व्यक्ति होने से जल्द ही हर किसी पर पूर्ण विश्वास कर बैठता है इसी अंतराल में प्रतिवादी सं.1 को प्रतिवादिया सं.2 ने अपने झांसे में ले लिया और बहला फुसलाकर प्रतिवादिया सं.2 ने वादी के नहरी भूमि ख० नं 24 रकबा 7.41 है० का जो कि ख० 1/3 हिस्सा भूमि थी उसका बिना कोई प्रतिफल चुकाए दिनांक 21.7.11 को विक्रय पत्र लिखवा कर उप पंजीयक अधिकारी चिड़ावा से तस्दीक करवा लिया जो वादी के हक हकूकों व अधिकारों पर बेअसर (Null & void) तथा निष्प्रभावी है और वादी ऐसे कुनाईशी विक्रय पत्र की पालना करने का कतई कानूनन पाबन्द नहीं है।

प्रतिवादी सं.1 को प्रतिवादिया सं.2 ने ना तो भूमि का प्रतिफल दिया और प्रतिवादी सं.1 ने प्रतिवादी सं.2 को ना भूमि ख० नं० 24 रकबा 7.41 है० या भूमि ख० नं० 24/1 रकबा 2.41 है० या उक्त भूमि के किसी भी भाग का कभी कोई कब्जा दिया और ना प्रतिवादी सं.2 ने बतौर आराजीदार के आज तक कभी काश्त किया और ना ही

...नय पत्र बयान
...वकील वादी
...ने किया वकील
...के की सहमति
...पत्रावली पर
...लिया गया।
...डकी किया
...त प्रकार है

उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा
जिला झुन्झुनूं (राज.)

कथ्य कहना काश्त रहा और ना वर्तमान मे प्रतिवा...
सं.2 का तथाकथित भूमि पर वर्तमान मे कोई कब्जा...
करता है।

सरहद ग्राम डिलावरपुरा तहसील चिड़ावा स्थित भूमि खसरा नं 24 रकबा 7.51 हे० के हिस्सा $\frac{1}{3}$ भाग अर्थात भूमि खस० नं० 24/1 क्षेत्रफल 2.51 हे० भूमि मे वादी व प्रतिवादी सं.1 का बराबर-बराबर का 1/2-1/2 हिस्सा निहित है और वादी अपनी पैतृक भूमि का $\frac{1}{2}$ हिस्सा भूमि भाग प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है इसलिए सरहद ग्राम डिलावरपुरा तहसील चिड़ावा स्थित भूमि खस० नं० 24/1 रकबा 2.51 हे० के $\frac{1}{2}$ हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना जरूरी व न्यायोचित है।

अतः वाद वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विक्रय पत्र दिनांक 21.7.11 को शून्य (NULL & Void) करार दिया जाकर वादी के हक हकूक पर प्रभावहीन व निष्प्रभावी करार दिया जाकर सरहद ग्राम डिलावरपुरा तहसील चिड़ावा स्थित भूमि खस० नं० 24 रकबा 2.39 हे० भूमि मे से $\frac{1}{2}$ हिस्से का वादी को व $\frac{1}{2}$ हिस्सा भूमि भाग पर प्रतिवादी सं.1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस नकल दावा भेजकर सूचना दी गई। प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के उपस्थित न्यायालय होकर इकबाली जवाब दावा पेश किया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई वाद पत्र का अवलोकन किया गया। वकील प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने इकबाली जवाब दावा पेश कर वाद वादी डिक्री किये जाने पर सहमति दी।

वाद वादी डिक्री किया जाता है कि विक्रय पत्र दिनांक 21.7.2011 को निष्प्रभावी किया जाता है ग्राम डिलावरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं स्थित

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा
जिला झुन्झुनू (राज.)

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चिड़ावा

सरकार बनाम श्योदान वगैरह

नं.________ सन् ________

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
भूमि ख० नं० 24 रकबा 2.39 हैक्ट० भूमि में से 1/2 हिस्से का वादी को व 1/2 हिस्सा भूमि भाग पर प्रतिवादी नं० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार चिड़ावा उक्तानुसार पक्षकारान का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)	